352

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

जी. एस. संधवालिया और लपिता बनर्जी से पहले, जे. जे.

चंडीगढ़ और अन्य का संघ क्षेत्र -

अपीलार्थी बनाम

दिदार सिंह-2021 का प्रत्यर्थी एल. पी. ए. संख्या 1193

07 फरवरी, 2024

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1963 के नियमों के नियम 18 का अवलोकन यह दर्शाता है कि किसी सदस्य का निर्वहन केवल तभी आधार पर हो सकता है जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता न हो। 1963 के नियमों का नियम 18 इस प्रकार हैः - “सदस्यों का निर्वहनः - किसी भी सदस्य को उस प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय छुट्टी दी जा सकती है जिसने उसे तब नियुक्त किया था जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। जबकि दूसरी ओर, 1963 के नियमों के नियम 27 में प्रावधान है कि बर्खास्तगी कदाचार या बिना पर्याप्त कारण के कर्तव्य से अनुपस्थिति के कारण हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1963 के नियमों के नियम 27 को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वापस ले लिया है कि जैसा कि देखा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करना उनके कर्तव्यों से निर्वहन का कारण था और यह नियम 18 के तहत नहीं किया गया था और बल्कि यह चंडीगढ़ और अन्य क्षेत्रों के कदाचार या अनुपस्थिति का मामला था।

353

सिंह (जी. एस. संधवालिया, एसीजे)

नियम 27 के तहत पर्याप्त कारण के बिना और आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जाना था जो कभी नहीं किया गया है। 1963 के नियमों का नियम 27 इस प्रकार हैः -

(3) कमांडेंट जनरल या ग्राम रक्षा दल प्रमुख द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ अपील सरकार के पास होगी। (4) उपनियम (2) या उपनियम (3) के तहत पारित सरकार का आदेश अंतिम होगा और किसी भी कार्यवाही में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। ”

(पैरा 4) ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी पहले से ही केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के साथ लगभग 16 वर्षों की सेवा कर चुका था, जिसे 14.02.2000 पर होम गार्ड स्वयंसेवक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने 23.01.2014 पर अपने निर्वहन की तारीख तक काम किया था और उसके बाद उसे फिर से 12.01.2015 पर होम गार्ड स्वयंसेवक के रूप में नामांकित किया गया और तब तक काम करना जारी रखा जब तक कि 21.09.2016 पर विवादित आदेश पारित नहीं हो गया। ऐसी परिस्थितियों में, सेवा की अवधि एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारे साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। (पैरा 6) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि जैसा कि ऊपर देखा गया है, कर्तव्यों से प्रत्यक्ष निर्वहन इस तर्क के आधार पर है कि वह एक आपराधिक मामले में शामिल था और वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी को सुनवाई देने के लिए सिद्धांत का पालन करना था, जिसका अपीलार्थियों की गलती के कारण पालन नहीं किया गया था। स्वयंसेवी गृह रक्षक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया तर्क किसी भी 354 से ग्रस्त नहीं है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

दुर्बलता जो हस्तक्षेप की गारंटी देती है।

(पैरा 12)

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता आकांक्षा साहनी। दिव्या शर्मा, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी की ओर से।

कि "कोई भी सदस्य, कदाचार के लिए या पर्याप्त कारण के बिना कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए, सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है और बर्खास्तगी का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि बर्खास्तगी के कारण लिखित रूप में दर्ज नहीं किए जाते हैं और संबंधित सदस्य को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर नहीं दिया गया है। उसके खिलाफ। तदनुसार, यह दर्ज किया गया कि ऐसी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और यह स्वीकार किया गया था कि प्रतिवादी के खिलाफ कदाचार के लिए कार्रवाई की गई थी, यानी पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 के तहत उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसके परिणामस्वरूप वह ड्यूटी से अनुपस्थित था। (3) दस्तावेज़ (अनुलग्नक पी-1) के अवलोकन से पता चलता है कि 03.09.2016 से कर्मचारी की ड्यूटी से अनुपस्थिति के बारे में जानकारी थी और इस संबंध में नियोक्ता द्वारा दैनिक डायरी में डी. डी. आर. दर्ज किया गया था। लिखित कथन के पैराग्राफ-6 में, अपीलकर्ताओं द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने और प्रतिवादी की गिरफ्तारी चंडीगढ़ और अन्य संघ क्षेत्र बनाम दिदार के संज्ञान में आई थी।

355

सिंह (जी. एस. संधवालिया, एसीजे)

(4) 1963 के नियमों के नियम 18 के अवलोकन से पता चलता है कि किसी सदस्य का निर्वहन केवल तभी हो सकता है जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता न हो। 1963 के नियमों का नियम 18 इस प्रकार हैः - “सदस्यों का निर्वहनः - किसी भी सदस्य को उस प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय छुट्टी दी जा सकती है जिसने उसे तब नियुक्त किया था जब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी। (5) जबकि दूसरी ओर, 1963 के नियमों के नियम 27 में प्रावधान है कि बर्खास्तगी कदाचार या बिना पर्याप्त कारण के कर्तव्य से अनुपस्थिति के कारण हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1963 के नियमों के नियम 27 को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वापस ले लिया है कि जैसा कि देखा गया है कि प्राथमिकी दर्ज करना उनके कर्तव्यों से निर्वहन का कारण था और यह नियम 18 के तहत नहीं किया गया था और बल्कि यह दुराचार या पर्याप्त कारण के बिना कर्तव्य से अनुपस्थिति का मामला था और नियम 27 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करना पड़ा था जो कभी नहीं किया गया है। 1963 के नियमों का नियम 27 इस प्रकार हैः -

“27. बर्खास्तगीः - (1) किसी भी सदस्य को कदाचार के लिए या पर्याप्त कारण के बिना कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिए सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है; बशर्ते कि कोई आदेश या बर्खास्तगी तब तक पारित नहीं की जाएगी जब तक कि बर्खास्तगी के कारण लिखित रूप में दर्ज नहीं किए जाते हैं और संबंधित सदस्य को उसके खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है।

356

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(3) कमांडेंट जनरल या ग्राम रक्षा दल प्रमुख द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ अपील सरकार के पास होगी। (4) उपनियम (2) या उपनियम (3) के तहत पारित सरकार का आदेश अंतिम होगा और किसी भी कार्यवाही में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। ”

(6) रिलायंस को तदनुसार निर्णय पर रखा गया था

देविंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य 1, जिसमें गृहरक्षकों की सेवाओं को इस तथ्य के कारण समाप्त कर दिया गया था कि वे चुनाव कर्तव्य के संबंध में यात्रा करते समय अमृतसर रेलवे स्टेशन पर अनुशासनहीनता के कार्य में शामिल थे। उच्चतम न्यायालय ने तदनुसार अभिनिर्धारित किया कि अवसर दिए बिना उनकी सेवाओं को समाप्त करना उचित नहीं है। उद्धृत निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ (ऊपर दिए गए) निम्नानुसार हैंः -

“(31) हमारे सुविचारित विचार में, निर्वहन के मामलों में भी, संबंधित प्राधिकारी किसी कर्मचारी को निर्वहन करते समय मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। हालांकि, तत्काल मामले में, अपीलार्थियों को अनुशासनहीनता के लिए सेवा से छुट्टी दी जा रही है। इसलिए, जैसा कि नियमों के नियम 27 के परंतुक में प्रावधान किया गया है, अपीलार्थियों को उनके खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए था। मान लीजिए, उन्हें ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए, हमारा विचार है कि उत्तरदाताओं की कार्रवाई उनके अपने वैधानिक नियमों के विपरीत है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। (32) इस सवाल में गए बिना कि क्या अपीलकर्ता संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण के लिए पात्र हैं, हमारे विचार में, उत्तरदाताओं ने अपीलार्थियों की सेवाओं को समाप्त करके मनमाने तरीके से काम किया है, जो पिछले वर्षों से गृह रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। वे सभी अधिक उम्र के हैं।

1 2010 (13) एस. सी. सी. 88 चंडीगढ़ और अन्य संघ क्षेत्र बनाम दिदार

357

सिंह (जी. एस. संधवालिया, एसीजे)

उन्हें वैकल्पिक रोजगार खोजने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और न्याय के हित में, हम प्रत्यर्थियों द्वारा पारित समाप्ति के आदेश को रद्द करना उचित समझते हैं और प्रत्यर्थियों को अपीलकर्ताओं को बिना वेतन के गृह रक्षक के रूप में बहाल करने का निर्देश देते हैं। ”

महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत निगम बनाम दिलीप उत्तम जयभाय 3, ज्यादा मददगार नहीं होगा क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जिसमें औद्योगिक न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए प्रतिवादी को बर्खास्त करने वाले अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा गया था।

(10) इसी तरह, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम,

2 2015 (6) एस. सी. सी. 247 3 2022 आकाशवाणी (एस. सी.) 238 358

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

जयपुर बनाम श्री फूल चंद (मृत) एल. आर. 4, एक मामला था जहां श्रम न्यायालय द्वारा मृतक कर्मचारी को पूर्ण मजदूरी प्रदान की गई थी और शीर्ष न्यायालय ने इस तथ्य के कारण कि कर्मचारी की अवधि समाप्त हो गई थी और लाभ उसके कानूनी प्रतिनिधियों को दिए जाने थे, आदेश को 50 प्रतिशत तक संशोधित किया था। मुद्दा यह था कि क्या वह लाभप्रद रूप से कार्यरत था या नहीं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक पूर्ववर्ती शर्त है, और इसलिए, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

(11) रिलायंस ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर रखा

5 2004 (1) एससीटी 108

6 2018 (1) एससीटी 2 चंडीगढ़ और अन्य का संघ क्षेत्र बनाम दिदार

359

सिंह (जी. एस. संधवालिया, एसीजे)

(15) दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय (डी. एड.) और अन्य 7 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गलत तरीके से सेवा समाप्त करने के मामलों में पूर्ण वेतन देना एक सामान्य नियम है। उक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों में से एक नीचे पढ़ा गया हैः -

“33( v) जिन मामलों में सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण यह पाता है कि नियोक्ता ने वैधानिक प्रावधानों और/या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन किया है या कर्मचारी या कर्मचारी को पीड़ित करने का दोषी है, तो संबंधित न्यायालय या न्यायाधिकरण पूर्ण वेतन के भुगतान का निर्देश देने में पूरी तरह से उचित होगा। ऐसे मामलों में, वरिष्ठ न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 226 या 136 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए और श्रम न्यायालय आदि द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, केवल इसलिए कि कर्मचारी/कर्मचारी की पूर्ण वेतन प्राप्त करने की पात्रता या उसी का भुगतान करने के लिए नियोक्ता के दायित्व पर अलग राय बनाने की संभावना है। अदालतों को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि गलत तरीके से/अवैध रूप से सेवा समाप्त करने के मामलों में, गलत काम करने वाला नियोक्ता है और पीड़ित कर्मचारी/कर्मचारी है और नियोक्ता को पूर्ण वेतन के रूप में कर्मचारी/कर्मचारी को उसके बकाया का भुगतान करने के बोझ से राहत देकर उसके गलत कामों का प्रीमियम देने का कोई औचित्य नहीं है। ”

रिपोर्टर-सुब्रत कौर 7 2013 (10) एस. सी. सी. 324